

(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित)
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. सं. - 237

नई दिल्ली 7 दिसंबर 2011

शुद्धिपत्र
(नवंबर 2011 ` 22 वाँ दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) के दरमान के सामान्य संशोधन के संबंध में प्रकरण सं.टीएएमपी/61/2009-केपीटी में 18 जनवरी, 2011 को एक आदेश पारित किया गया था। यह आदेश और संशोधित दरमान भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग-III खंड-4) में 22 फरवरी, 2011 को राजपत्र सं. 37 में अधिसूचित किया गया था।

2. यह नोटिस किया गया है कि 22 फरवरी, 2011 को अधिसूचित दरमान में कुछ टाइपिंग संबंधी त्रुटियाँ छुट गई हैं। केपीटी के दरमान में "कार्गो संबंधि प्रभार" से संबंधित अध्याय III के अंतर्गत खंड-I पोतघाट प्रभार की अनुसूची में पीओएल उत्पादों से संबंधित वर्तमान क्रम सं.(क) 1 (ख) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"पोत घाट प्रभारों की अनुसूची"

क्रम.सं.	वस्तुओं का विवरण	यूनिट	विदेशी दरें (₹.में)	तटीय दरें (₹में)
(क)	तरल (थोक मात्रा में)			
1.	पीओएल और उत्पाद			
(ख)	पीओएल उत्पाद	मी.ट.	26.25	26.25

(रानी जाधव)
अध्यक्ष